रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3110] नई दिल्ली, बधुवार, नवम्बर 8, 2017/कार्तिक 17, 1939
No. 3110] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 8, 2017/KARTIKA 17, 1939

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2017

का.अ. 3548(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

7 सितम्बर, 2017

श्री भुवन तंवर ने अधोहस्ताक्षरी को तारीख 11 मई, 2016 को एक यचिका प्रस्तुत की है जिसमें याचिकाकर्ता ने यह अभिकथन किया है कि श्री सुरेन्द्र सिंह (प्रत्यर्थी) दिल्ली विधान सभा, 2015 के लिए साधारण निर्वाचन में 10 फरवरी 2015 को 38, दिल्ली छावनी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा के सदस्य के रुप में निर्वाचित हुए थे। उसके पश्चात, प्रत्यर्थी को अगस्त, 2015 से नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र (दिल्ली रा.रा.क्षे.) सरकार के लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा किराया मुक्त फ्लैट संख्या 12 टाइप-V, यशवंत प्लेस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली आबंटित किया गया था। फ्लैट प्रत्यर्थी के कब्जे में है और वह अगस्त 2015 से उसके अधिभोग में है। प्रत्यर्थी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 38 दिल्ली छावनी का सदस्य होने के कारण जो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (न.दि.न.प.) के क्षेत्र में आता है, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 की धारा 4(1) (ख) के अनुसार न.दि.न.प. का भी सदस्य है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् ने प्रत्यर्थी को एक पूर्ण सुसज्जित फ्लैट संख्या 13, टाइप-V, यशवंत प्लेस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली को 18000 रुपये प्रति मास किराए पर आबंटित किया है। इसके अतिरिक्त, न.दि.न.प. ने प्रत्यर्थी को अपने प्रधान कार्यालय पालिका केन्द्र भवन, नई दिल्ली में लागतमुक्त एक पूर्ण सुसज्जित कार्यालय आबंटित किया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, फ्लैट संख्या 13 और आबंटित कार्यालय दोनों का बाजार किराया एक लाख रुपए प्रति मास है। अतः याचिकाकर्ता का मामला यह है कि श्री सुरेन्द्र सिंह, संख्या 38 दिल्ली छावनी से विधानसभा क्षेत्र के सदस्य होते हुए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र के अधीन और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के सदस्य के रुप में लाभ का पद धारण कर रहे हैं और वह लोक निर्माण विभाग, दिल्ली रा.रा.क्षे. सरकार और साथ ही नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से लाभ अभिप्राप्त कर रहे हैं। प्रत्यर्थी का मामला पूर्ण रुप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन यथा-उपबंधित उपबंधों और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के उपबंध के अधीन आता है।

और उक्त याचिका को भारत के संविधान के अनुच्छेद 191 (1)(क) में उपबंध के अधीन यथा-अपेक्षित और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के उपबंधों के अधीन भी अपेक्षानुसार भारत निर्वाचन आयोग को, उसकी राय के लिए निर्दिष्ट कर दिया गया था ।

और, भारत निर्वाचन आयोग ने याचिका की जांच करने के पश्चात 31 मार्च, 2017 को अपनी राय दी कि प्रत्यर्थी दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अर्थान्तर्गत सरकार के अधीन कोई "लाभ" का पद धारण नहीं किया है, क्योंकि वह न.दि.न.प अधिनियम, 1994 की धारा 4(1)(ख) के आधार पर न.दि.न.प के सदस्य है और सरकार की उन्हें इस पद पर नियुक्ति किए जाने या हटाए जाने की कोई भूमिका नहीं है । अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रत्यर्थी, सरकार के अधीन किसी लाभ के पद को धारण नहीं करता है । आयोग के लिए इस प्रश्न पर विचार अनावश्यक था कि क्या वह न.दि.न.प के सदस्य के पद को धारण करने के आधार पर कोई लाभ प्राप्त कर रहा है । इस प्रकार, प्रत्यर्थी ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन कोई निरहर्ता उपगत नहीं की है । भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तारीख 31 मार्च, 2017 की राय की एक प्रति इसके साथ उपाबद्ध है ।

अत:, अब मैं, राम नाथ कोविंद, भारत का राष्ट्रपति, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अभिव्यक्त राय को दृष्टि में रखते हुए, मामले पर विचार करते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूँ कि श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा, दिल्ली की अधिकथित निरहर्ता के प्रश्न पर श्री भुवन तंवर द्वारा तारीख 11 मई, 2016 को फाइल की गई याचिका पोषणीय नहीं है ।

भारत का राष्ट्रपति

राष्ट्रपति के आदेश का उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

2016 का निर्देश मामला सं. 2

[भारत के राष्ट्रपति से दिल्ली (दि.रा.रा.रा.) सरकार

अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन निर्देश]

संदर्भ : 2016 का निर्देश मामला सं. 2 - भारत के राष्ट्रपति से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(4) के अधीन निर्देश प्राप्त हुआ, जिसमें निर्वाचन आयोग से श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य दिल्ली विधान सभा की, दिल्ली (दि.रा.रा.रा.) सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर राय मांगी गई है ।

राय

यह तारीख 6 जुलाई, 2016 का निर्देश है, जो भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली (दि.रा.रा.रा.) सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उपधारा (4) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग से इस प्रश्न पर राय मांगी गई है कि क्या श्री सुरेन्द्र सिंह, दिल्ली विधान सभा के सदस्य, जो सं. 38 दिल्ली छावनी सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, दिल्ली (दि.रा.रा.रा.) सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1) (क) के अधीन उस सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।

2. उक्त निर्देश में निरर्हता का प्रश्न, श्री भुवन तंवर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "याची" कहा गया है) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष तारीख 11 मई, 2016 को फाइल की गई याचिका से उदभूत हुआ है, जिसके द्वारा याची ने दिल्ली (दि.रा.रा.रा.) सरकार अधिनियम, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1991 का दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम" कहा गया है) की धारा 15(1)(क) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन श्री सुरेन्द्र सिंह (जिसे इसमें इसके पश्चात्

"प्रत्यर्थी" कहा गया है) की निरर्हता के लिए इस कारण से ईप्सा की गई है कि वह नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् न.दि.न.प. कहा गया है) के सदस्य हैं ।

3. उक्त याचिका में प्रकट किए गए अनुसार मामले के तथ्य निम्नानुसार हैं :

4. प्रत्यर्थी को 10 फरवरी, 2015 को दिल्ली विधान सभा के लिए वर्ष 2015 में हुए साधारण निर्वाचनों में सं. 38- दिल्ली छावनी सभा निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था ।

5. उसके पश्चात्, प्रत्यर्थी को दिल्ली (दि.रा.रा.रा.) सरकार के लोक निर्माण विभाग (लो.नि.वि.) द्वारा फ्लैट सं. 12, टाइप V, यशवंत प्लेस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली आबंटित किया गया था, जो अगस्त, 2015 से ही किराया मुक्त है । प्रत्यर्थी के पास इस फ्लैट का कब्जा है और वह अगस्त 2015 से ही उसके अधिभोग में है ।

6. प्रत्यर्थी, सं. 38 दिल्ली छावनी सभा निर्वाचन क्षेत्र, जो नई दिल्ली नगरपालिक परिषद् के क्षेत्र में आता है, का सदस्य होने के कारण नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् अधिनियम, 1994 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "1994 का न.दि.न.प. अधिनियम" कहा गया है) की धारा 4(1)(ख) के अनुसार न.दि.न.प. का भी सदस्य है ।

7. न.दि.न.प. अधिनियम,1994 की धारा 16 यह उपबंध करती है कि न.दि.न.प. का कोई सदस्य, परिषद और उसकी समितियों में से किसी की बैठकों में भाग लेने के लिए, उसके नियमों के अधीन यथा-अवधारित दरों पर भत्तों को प्राप्त करने का हकदार है ।

8. न.दि.न.प. ने प्रत्यर्थी को 18000 रु. प्रतिमास किराए पर एक सुसज्जित फ्लैट सं. 13, टाइप V, यशवंत प्लेस, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली आबंटित किया है । इसके अतिरिक्त, न.दि.न.प. ने प्रत्यर्थी को एक सुसज्जित कार्यालय भी पालिका केंद्र भवन, नई दिल्ली में उसके प्रधान कार्यालय में निःशुल्क आबंटित किया है । याची के अनुसार, फ्लैट सं. 13 और आबंटित कार्यालय दोनों में से प्रत्येक का बाजार किराया 100000 रु0 प्रति मास प्रत्येक है ।

9. अत:, याची द्वारा तारीख 11 मई, 2016 की अपनी याचिका और तारीख 12 अक्तूबर, 2016 के प्रत्युत्तर में गए उठाए गए तथ्यात्मक और विधिक प्रकथनों का सारांश निम्नलिखित है:

(क) प्रत्यर्थी को फ्लैट संख्या 12, टाइप V, यशवंत प्लेस, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली के अधिभोग द्वारा, जो उसे लो.नि.वि. द्वारा निःशुल्क रुप से आबंटित किया गया था लो.नि.वि. से लाभ प्राप्त कर रहा है, जो एक एमएलए के रुप में उसके कर्तव्यों के विरोध में है ।

(ख) रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991 में, विधान सभा कार्यालय, के लिए टाइप V वास सुविधा के आबंटन के संबंध में कोई उपबंध नहीं है ।

(ग) प्रत्यर्थी को न.दि.न.प. द्वारा संपूर्ण फ्लैट सं. 13, टाइप V, यशवंत प्लेस, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली आबंटित किया गया है, जबकि न.दि.न.प. अधिनियम, 1994 के अधीन निर्वाचित सदस्यों को वास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कोई उपबंध नहीं है ।

(घ) दिल्ली विधानसभा की सदस्यता या न.दि.न.प. की सदस्यता धारित करने के लिए फ्लैट संख्या 12, फ्लैट संख्या 13 और पालिका केंद्र भवन में प्रधान कार्यालय में कार्यालय का प्रत्यर्थी द्वारा किया प्राप्त कब्जा या अधिभोग न तो अनिवार्य है और न ही आवश्यक है ।

(ङ) प्रत्यर्थी लो.नि.वि., न.दि.न.प. और दिल्ली रा.रा.रा. सरकार से लाभ का पद धारण करने के लिए दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991 की धारा 15 (1) (क) के अधीन विधान सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित होने के लिए दायी है

10. प्रत्यर्थी ने तारीख 28 सितंबर,2016 के अपने लिखित कथन द्वारा निम्नलिखित प्रतिवाद किए हैं :

(क) फ्लैट सं. 12, टाइप V, यशवंत प्लेस, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली, दिल्ली रा.रा.रा सरकार का कार्यालय है और प्रत्यर्थी अपने पदीय हैसियत में लोक शिकायतों का निवारण करने हेतु संख्या 38 दिल्ली छावनी निर्वाचन सभा के एमएलए के तौर पर केवल अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है।

(ख) फ्लैट सं. 13, टाइप V, यशवंत प्लेस, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली न.दि.न.प. के सभी सदस्यों/उपाध्यक्ष के सामान्य प्रयोग में है। प्रत्यर्थी को 18000 रु0 मासिक किराये पर फ्लैट संख्या 13 में केवल एक अतिथि कक्ष, आबंटित किया गया था। प्रत्यर्थी ने अतिथि कक्ष के लिए सम्यक रुप से किराया प्रदान किया है।

(ग) प्रत्यर्थी कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर रहा है और इसलिए वह दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991 की धारा 15(1) (क) के अधीन निरर्हता के लिए दायी नहीं है।

11. आयोग के निष्कर्ष इस राय के पश्चातवर्ती पैराओं में उपबंधित है।

12. याची ने यह तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी, लो.नि.वि. ,न.दि.न.प. और राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991 की धारा 15(1) (क) साथ पठित अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन निरर्हता के लिए दायी है।

13. प्रत्यर्थी की निरर्हता का प्रश्न फ्लैट सं. 12 और फ्लैट सं. 13, टाइप V, यशवंत प्लेस, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली का कब्जा प्राप्त करने और उन्हे अधिभोग में रखने के आधार पर उठाया गया है।

14. लो.नि.वि. द्वारा जारी तारीख 14 सितंबर, 2015 को सरकारी आवास की अधिभोग रिपोर्ट यह दर्शित करती है कि प्रत्यर्थी को संख्या 38, निर्वाचन क्षेत्र सभा, दिल्ली छावनी के कार्यालय के लिए फ्लैट सं. 12, टाइप V, यशवंत प्लेस, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली आबंटित किया गया था। अत: प्रत्यर्थी द्वारा फ्लैट सं. 12 का अभिकथित कब्जा दिल्ली विधान सभा के सदस्य की हैसियत से है।

15. याची का अगला प्रतिविरोध यह है कि प्रत्यर्थी को न.दि.न.प. द्वारा फ्लैट सं. 13, टाइप V, यशवंत प्लेस, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली आबंटित किया गया है अर्थात, प्रत्यर्थी न.दि.न.प. का निर्वाचित सदस्य होने के कारण न.दि.न.प. से लाभ प्राप्त कर रहा है। तथापि प्रत्यर्थी ने तारीख 2 नवंबर, 2014, 26 दिसंबर, 2014, 15 मई, 2015, 31 मार्च, 2016 और 2 मई, 2016 की बिल प्राप्तियां तथा तारीख 4 सितंबर, 2014, 20 नवंबर, 2014, 01 जनवरी, 2015 और 18 जनवरी, 2015 की संदाय प्राप्तियां प्रस्तुत की जो यह दर्शित करती हैं कि फ्लैट संख्या 13, अतिथि कक्ष उसके कब्जे में है, और उसने केवल उसके लिए संदाय किया है।

16. यहां मुख्य प्रतिविरोध यह है कि प्रत्यर्थी, न.दि.न.प. का सदस्य होते हुए, सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहा है, और इसलिए वह इसे अल्प किराए पर उपलब्ध कराई कई वास-सुविधा के रुप में धनीय अभिलाभ प्राप्त करने के कारण दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन दिल्ली विधान सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित है। दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991 की धारा 15 को नीचे दोहराया है, जो निम्नलिखित है :

"15. सदस्यता के लिए निरर्हता—(1) कोई व्यक्ति विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा,—

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसके धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् द्वारा या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा या राजधानी या किसी अन्य संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है,

(ख) यदि वह अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ख), उपखंड (ग) या उपखंड (घ) के उपबंधों के अधीन अथवा उस अनुच्छेद के अनुसरण में बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन संसद् के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य चुने जाने और होने के लिए तत्समय निरर्हित है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र का मंत्री है।

(3) यदि यह प्रश्न उठता है कि विधान सभा का कोई सदस्य उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन ऐसा सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा।"

17. 'सरकार के अधीन लाभ का पद' अभिव्यक्ति को भारत के संविधान में या दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991 में या किसी अन्य अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि उच्चतम न्यायालय के श्रंखलाबद्ध निर्णयों से अब यह अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि सरकार के अधीन लाभ के पद से क्या तात्पर्य है। दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) का विश्लेषण यह दर्शित करता है कि उक्त धारा के अधीन निरर्हित होने के लिए किसी व्यक्ति को धारण करना चाहिएः (i) कोई पद (ii) भारत सरकार या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के अधीन कोई पद और (iii) ऐसा पद जो उसे धारित करने वाले व्यक्ति को लाभ देने के योग्य हो। इसके अतिरिक्त, धारित किए जाना वाला पद ऐसा होना चाहिए, जिसे समुचित विधान मंडल द्वारा विधिक द्वारा इस रुप में घोषित न किया गया हो कि उसका धारण निरर्हित होगा।

18. यह उल्लिखित किया जा सकता है कि कोई उपबंध संसद या दिल्ली विधान सभा या किसी अन्य विधान मंडल द्वारा बनायी गई किसी विधि के बारे में आयोग की जानकारी में यह घोषणा करते हुए नहीं लाया गया है कि प्रत्यर्थी या न.दि.न.प का सदस्य होने के लिए दिल्ली विधान सभा की सदस्यता से निरर्हरित नहीं होगा।

19. अतः आयोग के विचारार्थ यह प्रश्न है कि क्या प्रत्यर्थी: - (i) पद (ii) जो भारत सरकार या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है, और (iii) ऐसा कोई पद, जो धारित करने वाले को लाभ देने योग्य है । इन अवयवों से प्रत्येक अवयव की पुष्टि अवश्य होनी चाहिए यदि प्रत्यर्थी पर दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम 1991 की धारा 15(1)(क) के अर्थान्तर्गत निरर्हित है

20. 'पद' शब्द यद्दिप, परिभाषित नहीं है जिसका उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन किया गया है, से ऐसी पदीय स्थिति या स्थान अभिप्रेत है जिससे कतिपय कर्तव्य संलग्नकों जो विशेषतया तथा कमोबेश लोक प्रकृति का है । (श्रीमती कांता कथूरिया बनाम एम. मानकचंद सुराना, एआईआर 1971 एस सी 694 देखें), द्वारा निर्वचन किया है । उच्चतम न्यायालय ने रबीन्द्र कुमार नायक बनाम कलक्टर, मयूरभंज 2 (1992)एस सी सी में 627 में और अभिकथित किया है कि 'पद' शब्द से एक मूलभूत स्थिति अभिप्रेत है, जो किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने इसे भरा है और उत्तरवर्ती धारणकर्ताओं द्वारा लगातार भरा गया था । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है, न ही यह विवादित है कि प्रत्यर्थी दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991 की धारा 15(1) (क) के अर्थान्तर्गत 'पद' धारित कर रहा है ।

21. अगला प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थी द्वारा इस प्रकार धारित पद भारत सरकार या राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन है । ऐसे प्रश्न के अवधारण के लिए, उच्चतम न्यायालय ने शिवमूर्थी स्वामी बनाम अगाडी संगन्ना अंडनप्पा (1971) 3 एस सीसी के 870 मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए अभिकथित किया है कि कोई पद सरकार के अधीन लाभ का पद है या नहीं :

(क) क्या सरकार नियुक्ति करती है ?

(ख) क्या सरकार को धारक को हटाने या पदच्युत करने का अधिकार है ?

(ग) क्या सरकार पारिश्रमिक का संदाय करती है ?

(घ) धारक के क्या कृत्य हैं ? क्या वह सरकार के लिए उनका पालन करता है ?

(ङ) क्या सरकार उन कृत्यों के अनुपालन के लिए उस पर नियंत्रण रखती है ?

22. उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त कसौटी को बाद में उसके द्वारा मामलों की श्रंखला में दुहराया गया है [कोना प्रभाकर राव बनाम एम.शेशाग्री राव, ए आई आर, 1981 एस सी 658: भगवती प्रसाद दीक्षित घोड़ेवाला बनाम राजीव गांधी, ए आई आर इत्यादि 1986 एस सी 1534.] पूर्व में, उच्चतम न्यायालय में मौलाना अब्दुल शकूर बनाम रिखब चन्द और अन्य, एआईआर 1958 एस सी 52 में रेखांकित किया कि पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करने या उसे पद पर बने रहने के लिए या अपने विवेकानुसार उसकी नियुक्ति को वापस लेने की सरकार की शक्ति यह अवधारण करने में कि क्या वह व्यक्ति सरकार के अधीन पद धारण कर रहा है या नहीं महत्वपूर्ण कारक है ।

23. यह प्रश्न कि क्या प्रत्यर्थी, किसी सरकार के अधीन पद धारण कर रहा इसका उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त कसौटियों को लागू करके अवधारित किया जाना है । इस प्रकार पहला प्रश्न यह है कि न.दि.न.प. के सदस्य के रुप में प्रत्यर्थी की नियुक्ति किसने की है और क्या वह प्राधिकारी जिसने उसकी नियुक्ति की है न.दि.न.प. की सदस्यता से हटाने का प्राधिकार रखता है । प्रत्यर्थी ने

यह प्रतिवाद किया है कि उसकी नियुक्ति न तो भारत सरकार द्वारा और न ही राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली द्वारा की गई थी और वह न.दि.न.प. की धारा 4 के आधार पर न.दि.न.प. का सदस्य बना है ।

24. न.दि.न.प. अधिनियम, 1994 की धारा 4 के सुसंगत भाग को नीचे दोहराया गया है, जो निम्नलिखित है:

4. परिषद् की संरचना—(1) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी: अर्थात् ,—

(क) एक अध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार या सरकार के ऐसे अधिकारियों में से होगा, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति का या उससे ऊपर की पंक्ति का होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री के परामर्श से नियुक्त किया जाएगा;

(ख) दो सदस्य, जो दिल्ली की विधान सभा के होंगे जो उन निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करेंगे जिनमें पूर्णतःया भागतः नई दिल्ली का क्षेत्र समाविष्ट है;

(ग) पांच सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार या सरकार या उनके उपक्रमों के अधिकारियों में से होंगे, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा; और

(घ) चार सदस्य जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, दिल्ली के मुख्यमंत्री के परामर्श से, वकीलों, डाक्टरों, चार्टड एकाउन्टेंटों, इंजीनियरों, कारोबार और वित्तीय परामर्शदाताओं, बुद्धिजीवियों, व्यापारियों, श्रमिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, जिनके अंतर्गत समाज वैज्ञानिक, कलाकार, मीडिया व्यक्ति, खेलकूद से संबंधित व्यक्ति और किसी अन्य वर्ग के ऐसे व्यक्ति हैं, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट किए जाएं, का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्देशित किया जाएगा;

(ङ) उस निर्वाचन-क्षेत्र का, जिसमें पूर्णतः या भागतः नई दिल्ली क्षेत्र समाविष्ट है, प्रतिनिधित्व करने वाला संसद-सदस्य ;

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट तेरह सदस्यों में से कम से कम, -

(क) तीन सदस्य स्त्रियां होंगी ;

(ख) दो सदस्य अनुसूचित जाति के होंगे, जिनमें से एक सदस्य उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री के परामर्श से, उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) में विनिर्दिष्ट सदस्यों में से उपाध्यक्ष को नामनिर्देशित करेगी ।

न.दि.न.प. अधिनियम, 1994 का उपरोक्त उपबंध यह दर्शित करता है कि जो भी किसी सभा निर्वाचनक्षेत्र से दिल्ली विधान सभा के लिए निर्वाचित है, जो न.दि.न.प. क्षेत्र में पूर्णतः या भागतः आता है, उपरोक्त कानूनी उपबंधों के आधार पर स्वयंमेव ही न.दि.न.प. का सदस्य हो जाएगा । इस प्रकार प्रत्यर्थी की न.दि.न.प. के सदस्य के रूप में नियुक्ति विधि के आधार पर स्वतः है और सरकार को उसकी नियुक्ति के मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं है । वास्तव में वह किसी प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए अपेक्षित नहीं है, न.दि.न.प. क्षेत्र के अन्तर्गत निर्वाचन क्षेत्र सभा से दिल्ली विधान सभा के लिए उसका निर्वाचन उसे न.दि.न.प. का पदेन सदस्य बनाता है । सरकार, केवल आम जनता और न.दि.न.प. प्रशासन की जानकारी के लिए धारा 4 के अधीन उनके नामों को अधिसूचित करती है, कि वे न.दि.न.प. के सदस्य हैं । इस मामले में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तारीख 05 सितम्बर, 2014 को ज्ञापित किया गया है कि प्रत्यर्थी न.दि.न.प. अधिनियम, 1994 की धारा 4(1) (ख) के अधीन न.दि.न.प. का सदस्य है, जिसका निर्वाचन क्षेत्र सभा संख्या 38 नई दिल्ली क्षेत्र का भाग है । इसके अतिरिक्त, वह लगातार न.दि.न.प. का सदस्य होगा जब तक कि वह दिल्ली विधान सभा का सदस्य रहता है, जो न.दि.न.प. क्षेत्र में आने वाले किसी निर्वाचन क्षेत्र सभा से निर्वाचित हुआ है । सरकार को उसके उसके पद से हटाने का विवेकाधिकार या शक्ति नहीं है ।

25. इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय का भगवती प्रसाद दीक्षित घोड़ेवाला बनाम राजीव गांधी (1986) 4 एस सी सी, 78 के मामले में दिए गए निर्णय की ओर ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है जिसमें यह निर्णीत किया गया था कि संसद की सदस्यता, सरकार के अधीन कोई पद नहीं है, क्योंकि विधायक अपने मतदाताओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं तथा सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किए जाते हैं।

26. यह भी उल्लेख करने की आवश्यकता है कि उच्चतम न्यायालय ने सूर्यकांत राय बनाम इमामुल हक खान, एआईआर 1975, एससी 1053 के मामले में धारण किया कि स्थानीय प्राधिकरण या सरकार के नियंत्रण के अन्तर्गत रहते हुए किसी प्राधिकरण के अधीन पद संसद या राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए निरर्हता नहीं होता है ; उक्त पद को धारण करना संविधान के अनुच्छेद 58 या अनुच्छेद 66 के अधीन भारत के राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए निरर्हित होगा ; परन्तु भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1) (क) और 191(1) (क) के अधीन संसद और राज्य विधान मंडल की सदस्यता के लिए निरर्हरित नहीं है । दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991 की धारा 15(1) (क) भारत के संविधान के उक्त अनुच्छेद 102(1) (क) और अनुच्छेद 191(1)(क) का तत्संबंधी उपबंध है । यह भी ध्यान देने योग्य है कि न.दि.न.प. संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992 (01 जून 1993 से प्रभावी) द्वारा अतःस्थापित संविधान के अनुच्छेद 243त के उपबंधों के अनुसरण में नगर पालिका के रुप में न.दि.न.प. अधिनियम, 1994 के अधीन सृजित की गई है, और अनुच्छेद 243 त(ङ) के अर्थान्तर्गत एक स्वंय सरकारी संस्था है।

27. इसके अतिरिक्त उल्लेख किया जा सकता है कि उठाया गया मामला राष्ट्रपति के वर्तमान संदर्भ में अब अनिर्णित विषय नहीं रह गया है । पूर्व में श्रीमती शीला दीक्षित और श्री करन सिहं तंवर के मामले में समरुप प्रश्न उठाया गया था, जिसमें यह अभिकथित किया गया था कि वे उनकी न.दि.न.प. की सदस्यता के कारण दिल्ली विधान सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हरित हो गए थे । राष्ट्रपति को राय देने के लिए 05 जून 2012 को आयोग ने अपनी राय में धारित कि उपरोक्त उल्लिखित दिल्ली के दोनों विधान सभा सदस्य न.दि.न.प. क्षेत्र में आने वाले निर्वाचन क्षेत्र सभा से उनके निर्वाचन के आधार पर न.दि.न.प. अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अधीन न.दि.न.प. के सदस्य हो गए, और इस प्रकार दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन निरर्हता नहीं हुए ।

28. अतः उपरोक्त निर्णयों और चुनाव आयोग द्वारा दी गई पूर्व सलाहों के अवलोकन में, आयोग की यह राय है कि प्रत्यर्थी दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991की धारा 15(1) के अर्तान्तर्गत सरकार के अधीन कोई 'पद' धारण नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह न.दि.न.प. अधिनियम, 1994 की धारा 4(1)(ख) के आधार पर न.दि.न.प. के सदस्य के रुप में सदस्य है और उसकी नियुक्ति और पदच्युति में सरकार की कोई भूमिका नहीं है ।

29. उपरोक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर रहा है, आयोग के लिए यह अनावश्यक है कि वह इस प्रश्न में जाए कि क्या उसे न.दि.न.प. के सदस्य का पद धारण करने के आधार पर कोई लाभ प्राप्त

हुआ है । अगले प्रश्न के संबंध में किसी जांच दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) के अधीन आयोग की ओर से एक अनधिकृत प्रयोग होगा, क्योंकि उसके द्वारा धारित पद सरकार के अधीन पद नहीं है। यदपि, प्रत्यार्थी को कुछ वित्तीय और अन्य लाभ संकल्प या न.दि.न.प. के आदेश या सरकार के अधीन दिए गए है, इसलिए यब मामला दि.रा.रा.रा.शा. अधिनियम 1991 की धारा 15(1) (क) के अधीन निरर्हता की परिधि में नहीं आयेगा । यदि प्रत्यर्थी को कोई लाभ दिया भी गया है, जिसका वह हकदार नहीं है, यह पहलु संबंधित प्राधिकारियों को देखना है न कि आयोग को ।

30. दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पूर्व के निष्कर्षों और विश्लेषण की दृष्टि में, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उप धारा (4) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की राय में, भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त तारीख 06 जुलाई, 2016 के निर्देश पर श्री सुरेन्दर सिंह सदस्य दिल्ली विधान सभा, संख्या 38 दिल्ली छावनी सभा निर्वाचन क्षेत्र से न.दि.न.प. का सदस्य रहते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1)(क) सपठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन विधान सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हता उपगत नहीं हुई है ।

31. अतः भारत निर्वाचन आयोग की राय, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उप धारा(4) के अधीन भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की जाती है कि श्री सुरेन्द्र सिहं दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1) (क) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 191(1)(क) के अधीन निरर्हित नहीं है ।

ह.	ह.	ह.
(श्री ओ.पी.रावत)	(डा. नसीम जैदी)	(श्री ए.के.जोती)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 31.03.2017

[फा. सं. एच 11026/2/2017-वि.2]

डॉ. रीटा वशिष्ट, अपर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2017

S.O. 3548(E).—The following Order made by the President is published for general information:-

ORDER

7th September, 2017

Whereas Shri Bhuwan Tanwar has addressed a petition dated the May 11, 2016 to the undersigned alleging that Shri Surender Singh was elected as a member of the Delhi Legislative Assembly from No. 38 Delhi Cantonment Assembly Constituency on 10th February, 2015 in the general election for Delhi Legislative Assembly, 2015. Thereafter, the respondent was allotted Flat No. 12, Type V, Yashwant Place, Chanakyapuri, New Delhi by the Public Work Department (PWD) of the Government of National Capital Territory of Delhi (NCT of Delhi), rent- free since August, 2015. The respondent is in possession of the flat and is occupying it since August, 2015. The respondent, being a member of assembly constituency No. 38 Delhi Cantonment, which falls in the area of New Delhi Municipal Council (NDMC), is also a member of NDMC as per section 4(1) (b) of the New Delhi Municipal Council Act, 1994. The NDMC has allotted a well furnished Flat No. 13, Type V, Yashwant Place, Chanakyapuri, New Delhi at a rent of Rs. 18000 per month, to the respondent. Additionally, the NDMC has also allotted to the respondent a well-furnished office at its Head Office at Palika Kendra Bhawan, New Delhi, free of cost. According to the petitioner, the market rate of both Flat No 13 and the allotted office is Rs. one lakh per month each. Hence the case of the petitioner is that Shri Surender Singh is holding an office of profit under the Government of NCT of Delhi being member of Legislative Assembly of No. 38, Delhi Cantonment and as a member of

New Delhi Municipal Council, and he has been gaining profit from the Public Works Department, Government of N.C.T. of Delhi as well as from New Delhi Municipal Council. The case of the respondent is fully covered under the provisions as provided under Article 191(1) (a) of the Constitution of India and also under the provisions of section 15(1) (a) of the Government of N.C.T. of Delhi Act, 1991.

And whereas the said petition was referred to the Election Commission of India seeking its opinion as required under Article 191(1) (a) of the Constitution of India and also under the provisions of section 15(1) (a) of the Government of N.C.T. of Delhi Act, 1991.

And whereas the Election Commission of India, after examining the petition, has given its opinion on March 31, 2017, opining that the respondent is not holding an 'office' under the government within the meaning of section 15(1) (a) of the GNCTD Act of 1991, as he is a member of the NDMC by virtue of section 4(1) (b) of the NDMC Act of 1994 and the Government has no role in his appointment or dismissal. Having come to the conclusion that the respondent is not holding any office under the Government, it was unnecessary for the Commission to go into the question whether he is deriving any profit by virtue of holding the office of Member of the NDMC. Thus, the respondent has not incurred disqualification under Article 191(1) (a) of the Constitution of India read with section 15(1) (a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991. A copy of the opinion dated March 31, 2017 given by the Election Commission of India is annexed hereto:

Now, therefore, having considered the matter in the light of the opinion expressed by the Election Commission of India, I Ram Nath Kovind, President of India, in exercise of the powers conferred on me under section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, do hereby hold that the petition dated May 11, 2016, filed by Shri Bhuwan Tanwar, on the question of alleged disqualification of Shri Surender Singh, Member of Legislative Assembly, Delhi, is not maintainable.

President of India

ANNEXURE TO THE ORDER OF THE PRESIDENT

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NIRVANCHAN SADAN, ASHOKA ROAD, NEW DELHI-110001

REFERENCE CASE NO. 2 OF 2016

[Reference from the President of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991]

In re: Reference Case No. 2 of 2016 - Reference received from the President of India under Section 15(4) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 seeking opinion of the Election Commission on the question of alleged disqualification of Shri. Surender Singh, Member of the Legislative Assembly of Delhi under Article 191(1)(a) of the Constitution of India read with Section 15(1)(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991

OPINION

This is a reference, dated 06th July 2016, received from the President of India seeking opinion of the Election Commission of India under Sub- section (4) of Section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, on the question whether Shri. Surender Singh, a Member of the Legislative Assembly of Delhi elected from No. 38 Delhi Cantonment assembly constituency, has become subject to disqualification, for being member of that Assembly, under Article 191(1)(a) of the Constitution of India read with Section 15(1)(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

2. In the said reference, the question of disqualification arose because of a petition, dated 11th May 2016, filed by Shri. Bhuvan Tanwar (hereinafter the *"Petitioner"*) before the President of India, whereby the Petitioner has sought disqualification of Shri. Surender Singh (hereinafter the "*Respondent*") under Article 191(1)(a) of the Constitution of India read with Section 15(1)(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (hereinafter, the "*GNCTD Act of 1991*") by reason of his membership of the New Delhi Municipal Council (hereinafter, "*NDMC"*).

3. The facts of the case, as disclosed in the said petition, are as follows:

4. The Respondent was elected as a Member of the Delhi Legislative Assembly from No. 38 Delhi Cantonment assembly constituency on 10th February 2015 in the general election for Delhi Legislative Assembly, 2015.

5. Thereafter, the Respondent was allotted Flat No. 12, Type V, Yashwant Place, Chankakya Puri, New Delhi by the Public Works Department (PWD) of the Government of National Capital Territory of Delhi (NCT of Delhi), rent-free since August 2015. The Respondent is in possession of this flat and is occupying it since August 2015.

6. The Respondent, being a member of assembly constituency No. 38 Delhi Cantonment, which falls in the area of New Delhi Municipal Council (NDMC), is also a member of NDMC as per Section 4(1)(b) of the New Delhi Municipal Council Act, 1994 (hereinafter, "*NDMC Act of 1994"*).

7. Section 16 of the NDMC Act of 1994 provides that a member of the NDMC is entitled to receive allowances for attending meetings of the Council and of any of its committees at such rates as may be determined under its rules.

8. The NDMC has allotted a well-furnished Flat No. 13, Type V, Yashwant Place, Chankakya Puri, New Delhi at a rent of Rs. 18000 per month, to the Respondent. Additionally, the NDMC has also allotted to the Respondent a well-furnished office at its Head Office at Palika Kendra Bhawan, New Delhi, free of cost. According to the Petitioner, the market rate of both Flat No. 13 and the allotted office is Rs. 100000 per month each.

9. Thus, the factual and legal averments raised by the Petitioner vide its petition, dated 11th May 2016, and rejoinder, dated 12th October 2016, are summarised as follows:

(a) The Respondent, by occupying Flat No. 12, Type V, Yashwant Place, Chankakya Puri, New Delhi which was allotted to him, cost-free, by PWD, is receiving profit from the PWD, which is in conflict with his duties as an MLA.

(b) There is no provision in the GNCT Act, 1991 which provides for allotment of Type V accommodation for the 'office of legislative assembly'.

(c) The Respondent has been allotted the entire Flat No. 13, Type V, Yashwant Place, Chankakya Puri, New Delhi by the NDMC, even though there is no provision for providing accommodation to its elected members under the NDMC Act, 1994.

(d) The possession and occupation of Flat No. 12, Flat No. 13 and office at Head Office in Palika Kendra Bhawan by the Respondent is neither essential nor necessary for holding the membership of the Delhi Legislative Assembly or membership of NDMC.

(e) The Respondent is liable to be disqualified for being a Member of the Legislative Assembly under Section 15(1)(a) of the GNCTD Act of 1991 for holding an office of profit as he is gaining profits from PWD, NDMC and Government of NCT of Delhi.

10. The Respondent, vide his written statement, dated 28th September 2016, has contended the following:

(a) The Flat No. 12, Type V, Yashwant Place, Chankakya Puri, New Delhi is an office of the Government of NCT of Delhi and the Respondent is merely discharging his duties as the MLA of the No. 38 Delhi Cantonment assembly constituency to meet public grievances in his official capacity.

(b) The Flat No. 13, Type V, Yashwant Place, Chankakya Puri, New Delhi is in common use of all the members/ Vice- Chairman of NDMC. The Respondent was allotted only one guest room of the Flat No. 13 for a monthly rent of Rs. 18000. The Respondent has duly paid rent for the guest room.

(c) The Respondent is not holding any office of profit and thus, is not liable to be disqualified under Section 15(1)(a) of the GNCTD Act of 1991.

11. The findings of the Commission are provided in the subsequent paragraphs of this Opinion.

12. The Petitioner has argued that the Respondent is liable to be disqualified under Article 191(1)(a) of the Constitution of India read with Section 15(1)(a) of the GNCTD Act of 1991 for holding an office of profit and gaining profits from PWD, NDMC and Government of NCT of Delhi.

13. The question of disqualification of the Respondent is raised on the grounds of possession and occupation of Flat Nos. 12 and 13, Type V, Yashwant Place, Chankakya Puri, New Delhi.

14. The occupation report of government residence, dated 14th September 2015, issued by the PWD shows that the Respondent was allotted Flat No. 12, Type V, Yashwant Place, Chankakya Puri, New Delhi for the 'Office of Assembly Constituency, No. 38 Delhi Cantonment'. Thus, the alleged possession of Flat No. 12 by the Respondent is in capacity of being a Member of Legislative Assembly of Delhi.

15. The next contention of the Petitioner is that the Respondent is allotted Flat No. 13, Type V, Yashwant Place, Chankakya Puri, New Delhi by the NDMC, that is, Respondent is receiving profits from NDMC by virtue of being an elected member of NDMC. However, the Respondent has submitted bill receipts, dated 02nd November 2014, 26th December 2014, 15th May 2015, 31st March 2016 and 02nd May 2016, and the payment receipts, dated 04th September 2014, 20th November 2014, 01st January 2015 and 18th January 2015 to show that he is in possession of and has made payments only with respect to the guest room of Flat No. 13.

16. The main contention here is that the Respondent, being a Member of the NDMC, is holding an office of profit under the Government and is thus disqualified for being a Member of the Delhi Legislative Assembly under Section 15(1)(a) of the GNCTD Act of 1991 as pecuniary benefit in the form of accommodation at a minimal rent has been provided to him. Section 15 of the GNCTD Act of 1991 is reproduced below:

"15. Disqualifications for membership.

(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of the Legislative Assembly--

(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of any Union territory other than an office declared by law made by Parliament or by the Legislature of any State or by the Legislative Assembly of the Capital or of any other Union territory not to disqualify its holder; or

(b) if he is for the time being disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament under the provisions of sub- clause (b), sub-clause (c) or sub- clause (d) of clause (1) of article 102 or of any law made in pursuance of that article.

(2) For the purposes of this section, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of any Union territory by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State or Union territory.

(3) If any question arises as to whether a member of the Legislative Assembly has become disqualified for being such a member under the provisions of sub- section (1), the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final.

(4) Before giving any decision on any such question, the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion."

17. The expression 'office of profit under the Government' is not defined in the Constitution of India or in the GNCTD Act of 1991 or any other Act. However, what constitutes office of profit under the government is now well established by a catena of judgments of the Supreme Court. An analysis of Section 15(1)(a) of the GNCTD Act of 1991 shows that for attracting a disqualification under the said section, the person should be holding: (i) an office, (ii) an office which is under the Government of India or the Government of any State or Union Territory, and (iii) an office which is capable of yielding profit to the holder thereof. Further, the office so held should be an office which has not been declared by the appropriate legislature by law not to disqualify its holder.

18. It may be mentioned that no provision has been brought to the notice of the Commission of any law made by the Parliament or Delhi Legislative Assembly or any other legislature declaring that the Respondent shall not be disqualified for membership of the Delhi Legislative Assembly for being a member of the NDMC.

19. The question, therefore, for consideration of the Commission is whether the Respondent is holding: (i) an office, (ii) an office which is under the Government of India or the Government of any State or Union Territory, and (iii) an office which is capable of yielding profit to the holder. Each of these ingredients must be satisfied if the Respondent is to attract disqualification within the meaning of Section 15(1)(a) of the GNCTD Act of 1991.

20. The word 'office', though not defined, has been interpreted by the Supreme Court to mean a position or place to which certain duties are attached, specially one of a more or less public character (see *Smt. Kanta Kathuria v. M. Manakchand Surana,* AIR 1971 SC 694). The Supreme Court has further laid down in *Rabindra Kumar Nayak v. Collector, Mayurbhanj,* (1992) 2 SCC 627, that the term 'office' means one subsisting, substantive position which has an existence independent from the person who filled it and was filled in succession by successive holders. In view of the above, it cannot be denied, nor has it been disputed, that the Respondent is holding an 'office' within the meaning of Section 15(1)(a) of the GNCTD Act of 1991.

21. The next question is whether the office so held by the Respondent is an 'office under the Government' of India or the Government of NCT of Delhi or any other Government. For determining such question, the Supreme Court has, in the case of *Shivamurthy Swami v. Agadi Sanganna Andanappa*, (1971) 3 SCC 870, laid down a test to determine whether an office is an office of profit under the Government or not:

(a) Whether the Government makes the appointment?

(b) Whether the Government has the right to remove or dismiss the holder?

(c) Whether the Government pays the remuneration?

(d) What are the functions of the holder? Does he perform them for the Government?

(e) Does the Government exercise any control over the performance of those functions?

22. The above test has been reiterated by the Supreme Court in series of cases decided by it subsequently [see *Kona Prabhakar Rao v. M. Sheshagiri Rao,* AIR 1981 SC 658; *Bhagwati Prashad Dixit Ghorewala v. Rajiv Gandhi,* AIR 1986 SC 1534 etc.]. Earlier, the Supreme Court underscored in *Maulana Abdul Shakoor v. Rikhab Chand and Another,* AIR 1958 SC 52, that the power of the Government to appoint a person to an office or to continue him in that office or revoke

his appointment at their discretion are important factors in determining whether that person is holding an office under the Government.

23. The question whether the Respondent is holding an office under any Government is, therefore, to be determined by applying the above tests laid down by the Supreme Court. Thus, the first question is who has appointed the Respondent as a Member of the NDMC and whether the authority which has appointed him has an authority to remove him from the membership of NDMC. The Respondent has contended that he was not appointed either by the Government of India or by the Government of NCT of Delhi and that he has become a Member of the NDMC by virtue of Section 4 of the NDMC Act. 1994.

24. The relevant portion of Section 4 of the NDMC Act, 1994 is reproduced below:

> *"4. Composition of the Council.—*
>
> *(1) The Council shall consist of the following members, namely:—*
> *(a) a Chairperson, from amongst the officers, of the Central Government or the Government, of or above the rank of Joint Secretary to the Government of India to be appointed by the Central Government in consultation with the Chief Minister of Delhi;*
>
> *(b) two members of Legislative Assembly of Delhi representing constituencies which comprise wholly or partly the New Delhi area;*
>
> *(c) five members from amongst the officers of the Central Government or the Government or their undertakings, to be nominated by the Central Government; and*
>
> *(d) four members to be nominated by the Central Government in consultation with the Chief Minister of Delhi to represent from amongst lawyers, doctors, chartered accountants, engineers, business and financial consultants, intellectuals, traders, labourers, social workers including social scientists, artists, media persons, sports persons and any other class of persons as may be specified by the Central Government in this behalf;*
>
> *(e) the Member of Parliament, representing constituency which comprises wholly or partly the New Delhi area.*
>
> *(3) Out of the thirteen members referred to in sub-section (1), there shall be, at least,—*
>
> *(a) three members who are women;*
>
> *(b) two members belonging to the Scheduled Castes, out of which one member shall be from the members nominated under clause (d) of sub-section (1).*
>
> *(4) The Central Government shall nominate, in consultation with the Chief Minister of Delhi, a Vice-Chairperson from amongst the members specified in clauses (b) and (d) of sub-section (1)."*

A bare reading of the above provision of the NDMC Act, 1994 shows that whosoever is elected to the Delhi Legislative Assembly from an Assembly Constituency which falls wholly or partly in the NDMC area will *ipso facto* become a Member of the NDMC by virtue of the above statutory provisions. Thus, the Respondent's appointment as a Member of the NDMC is automatic by virtue of law and the Government has no discretion in the matter of his appointment. In fact, he is not required to be appointed by any authority- his election to the Delhi Legislative Assembly from an Assembly Constituency falling within the NDMC area itself makes him ex-officio member of the NDMC. The Government merely notifies their names under Section 4, only for information of the general public and the NDMC administration that they are Members of the NDMC. In this case, Notification, dated 05th September 2014, issued by Ministry of Home Affairs, Government of India, notifies that the Respondent is a member of NDMC under Section 4(1)(b) of the NDMC Act, 1994, as his assembly constituency, No. 38 Delhi Cantonment, forms part of the New Delhi area. Further, he shall continue to be a Member of the NDMC so long as he continues to be the Member of the Delhi Legislative Assembly elected from any Assembly Constituency falling in NDMC area. The Government has no discretion or power to remove him from that office.

25. Attention in this context may be invited to the decision of the Supreme Court in the case of *Bhagwati Prasad Dixit 'Ghorewala' v. Rajeev Gandhi,* (1986) 4 SCC 78, wherein it was held that membership of Parliament is not an office under the Government since legislators are elected by their electors and are not appointed by the government.

26. It also needs to be pointed out that the Supreme Court in *Surya Kant Roy v. Imamul Hai Khan,* AIR 1975 SC 1053, held that an office under a local authority or an authority subject to control of the Government does not bring about a disqualification for membership of Parliament or State Legislature; the holding of such an office is a disqualification for election to the office of President or Vice- President of India under Article 58 or 66 of the Constitution, but not a disqualification for membership of Parliament or State Legislature under Articles 102(1)(a) and 191(1)(a) of the Constitution of India. Section 15(1)(a) of the GNCTD Act of 1991 is the corresponding provision to the said Articles 102(1)(a) and 191(1)(a) of the Constitution of India. It may also be pointed out that the NDMC has been created under the NDMC Act, 1994 as a municipality in pursuance of the provisions of Article 243P of the Constitution inserted by the

Constitution (Seventy- Fourth Amendment) Act, 1992 (w.e.f. 01st June 1993) and is an institution of self- government within the meaning of Article 243P(e).

27. Further, it may be pointed out that the matter raised in the present reference of the President is no longer *res integra.* A similar question was raised earlier in the case of Smt. Sheila Dixit and Shri. Karan Singh Tanwar, wherein it was alleged that they had become disqualified for being members of the Delhi Legislative Assembly by reason of their membership of the NDMC. The Commission held, in its opinion, dated 05th June 2012, to the President, that both the above- mentioned MLAs of Delhi have become members of NDMC under Section 4 of the NDMC Act of 1994 by virtue of their election from the assembly constituencies falling in the NDMC area and thus did not attract disqualification under Section 15(1)(a) of the GNCTD Act of 1991.

28. Therefore, in light of the above judgments and EC's earlier opinion, the Commission is of the opinion that the Respondent is not holding an 'office' under the government within the meaning of Section 15(1)(a) of the GNCTD Act of 1991, as he is a member of the NDMC by virtue of Section 4(1)(b) of the NDMC Act of 1994 and the government has no role in its appointment or dismissal.

29. Having come to the above conclusion that the Respondent is not holding any office under the Government, it is unnecessary for the Commission to go into the question whether he is deriving any profit by virtue of holding the office of Member of the NDMC. Any enquiry into such further question would be an unwarranted exercise on the part of the Commission under Section 15(1)(a) of the GNCTD Act of 1991, as the office held by him is not an office under the Government. Even if some pecuniary and other benefits have been given to the Respondent under any resolution or order of the NDMC or the Government, that will not bring his case within the ambit of disqualification under the said Section 15(1)(a) of the GNCTD Act of 1991. Also, if any benefits have been given to the Respondent to which he is not entitled, it is for the authorities concerned to look into that aspect and not for the Commission to go into.

30. In view of the forgoing findings and analysis based on documentary evidence, the opinion of Election Commission of India under Sub- section (4) of the Section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 on the Reference, dated 06th July 2016, received from the President of India is that Shri. Surender Singh, a Member of the Legislative Assembly of Delhi from No. 38 Delhi Cantonment assembly constituency, has not incurred disqualification, for being member of that Assembly, under Article 191(1)(a) of the Constitution of India read with Section 15(1)(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 by reason of his being a member of NDMC.

31. Hence, the opinion of the Election Commission of India is hereby tendered to the President of India under Sub-section (4) of the Section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 that Shri. Surender Singh is not disqualified under Article 191(1)(a) of the Constitution of India read with Section 15(1)(a) of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

--sd-	--sd-	--sd-
(Shri. O.P. Rawat)	**(Dr. Nasim Zaidi)**	**(Shri. A.K. Joti)**
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place: New Delhi

Date: 31.03.2017

[F.No.H-11026/2/2017-Leg.II]

Dr. REETA VASHISTHA, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.11.10 15:15:58 +05'30'